



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjhk@jharkhandmail.gov.in

आवश्यक/तुरन्त/
ई-मेल/फैक्स/
वेबसाइट

पत्रांक: 5B/Budget(NP)/Gen. Corres/13(15-16)

दिनांक:

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं
मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।
सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची/सिंहभूम, जमशेदपुर/संथाल परगना, दुमका/पलामू, मेदिनीनगर/हजारीबाग/बोकारो।

विषय: गैर-योजना मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक राशि की आवश्यकता के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि गैर-योजना मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन आपको किया जा चुका है। लेकिन आपके मासिक व्यय प्रतिवेदन में व्यय राशि बहुत ही कम दर्शाया गया है। विशेष रूप से वेतन इकाई में व्ययित राशि कम है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन भी समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए अनुरोध है कि आपके अपने स्थापना के साथ अधीनस्थ स्थापनाओं के मांग राशि को समेकित कर उपशीर्षवार निम्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि राशि का आवंटन आपको किया जा सके तथा आवश्यकता होने पर सरकार से राशि की मांग की जा सके:-

क्र० सं०	इकाई का नाम	प्र०मु०व०सं०, कार्यालय से प्राप्त आवंटन	माह नवंबर, 2015 तक का व्यय राशि	अतिरिक्त राशि की आवश्यकता	वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल राशि की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6

“ यात्रा व्यय” मद में यदि लम्बित विपत्रों की मांग है तो संलग्न प्रपत्र में सूचनाएँ देंगे।

ज्ञात हो कि सभी इकाईयों में उतनी ही राशि की मांग की जाय जिसे 31.03.2016 तक व्यय की जा सके।

साथ ही यदि किसी इकाई में राशि की बचत होने की संभावना हो तो उस राशि को दिनांक 09.12.2015 तक निश्चित रूप से प्रत्यार्पण करना सुनिश्चित किया जाय।
अनु०-यथो०।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापक - 3788

दिनांक 3.12.15

प्रतिलिपि- Envis Centre, Ranchi को वेबसाइट पर PCCF instruction tab में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

Details of Arrear T.A. Bill

Sl. No.	Name of Employee	Period of Journey	Bill Amount	Purpose of Journey	Journey Sanctioned Issued by Whom ? (Name of Officer)	Recommendation of Present PCCF/APCCF/RCCF	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8